फर्द अहकाम

न्यायालय सहायक कलक्टर आमेर मु0 जयपुर

डिक्री / मनोज

केस संख्या : 05/2024

केस संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
	12/2/2025	पत्रावली प्रस्तुत। अधिवक्ता वादी उपस्थित। वाद वादी डिक्री किया जाता है। विस्तृत निर्णय एवं डिक्री पृथक से लिखवाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर सहायक कलक्टर आमेर मु. जयपुर	

न्यायालय :– सहायक कलक्टर आमेर,
मुख्यालय जयपुर (राज.)

पीठासीन अधिकारी : श्रीमती अंजू वर्मा
आर.ए.एस.

नियगित वाद संख्या – 05/2024 वाद प्रस्तुति दिनांक – 09.01.2024

1. दिलीप पुत्र श्री दीपचन्द
2. दौलत उर्फ मनीश पुत्र दीपचन्द
3. श्रीमती सुशीला पत्नी दीपचन्द
4. सुमन पुत्री दीपचन्द
5. लीलू पुत्री दीपचन्द
6. दिलीप कुमार पुत्र स्व0 प्रेमचन्द
7. धन कुमार पुत्र स्व0 प्रेमचन्द
8. प्रदीप कुमार पुत्र स्व0 प्रेमचन्द
9. मीनू पुत्री प्रेमचन्द (हक त्याग)

समस्त जाति जैन निवासी ग्राम राजावास तहसील आमेर हाल तहसील रामपुरा डाबडी जिला जयपुर।

..... वादीया

बनाम

1. मनोज पुत्र स्व0 श्री बाबूलाल
2. श्रीमती पद्मा देवी पत्नी स्व0 बाबूलाल
3. मनमोजी पुत्र स्व0 श्री बाबूलाल
4. ममता पुत्री स्व0 श्री बाबूलाल
5. मीना पुत्री स्व0 श्री बाबूलाल
6. सुनीता पुत्री स्व० श्री बाबूलाल
7. पिंकू पुत्र संजय नाबालिग जरिये माता ज्योति देवी पत्नी संजय
8. श्रीमती ज्योति देवी पत्नी संजय

समस्त जाति जैन निवासी ग्राम राजावास तहसील रामपुरा डाबडी जिला जयपुर ।

9. सुशीला देवी पत्नी श्री बी. एस. अग्रवाल (फौत)

9/1 पुनीत अग्रवाल पुत्र श्री बी. एस. अग्रवाल

9/2 शिल्पा अग्रवाल पुत्री श्री बी. एस. अग्रवाल

9/3 बी. एस. अग्रवाल पुत्र मिश्री लाल अग्रवाल

10. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार रामपुरा डाबडी तहसील रामपुरा डाबडी जयपुर

सहायक कलक्टर
आमेर, जयपुर

11. उप पंजीयक रामपुरा डाबडी तहसील रामपुरा डाबडी जिला जयपुर ।

.....प्रतिवादीगण

वाद बाबत घोषणा, स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 88, 188
राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थिति :–

(1) श्री गजराज कुमार योगी, अधिवक्ता वादी की ओर से
(2) प्रतिवादीगण की ओर से कोई उपस्थित नहीं।

दिनाँकः– 12.02.2024

निर्णय

हस्तगत वाद के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार से है, ग्राम राजावास पटवार हल्का नांगल सिरस भू–अभिलेख निरीक्षेक क्षेत्र खोराबीसल तहसील रामपुरा डाबडी जिला जयपुर में निवास कर अपना जीवनयापन करते हैं, तथा सुन्दर लाल पुत्र विजय लाल के वंशज हैं। जिसका सजरा वादपत्र मे दर्शाया गया है। ग्राम राजावास तहसील रामपुरा डाबडी जिला जयपुर में आराजी खसरा नम्बर 522 रकबा 0.1 हैक्टेयर खसरा नम्बर 524 रकबा 0.27 हैक्टेयर खसरा नम्बर 525/1 रकबा 0.20 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 561 रकबा 0.30 हैक्टेयर खसरा नम्बर 562 रकबा 0.35 हैक्टेयर कुल किता 5 कुल रकबा 1.13 हैक्टेयर स्थित है जिसमें 1/2 हक व हिस्सा सुन्दर लाल पुत्र विजय लाल वादीगण व प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 8 के दादा के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज इन्द्राज था एवं खसरा नम्बर 525 रकबा 0.70 हैक्टेयर वादीगण एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 8 के नाम से एवं खसरा नम्बर 499 रकबा 0.13 हैक्टेयर वादीगण व प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 9 के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज था। उक्त आराजी ग्राम राजावास तहसील रामपुरा डाबडी जिला जयपुर में वर्णित आराजी पूर्व में सुन्दर लाल पुत्र विजय लाल के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज इन्द्राज थी, व सुन्दर लाल पुत्र विजय लाल की मृत्यु के पश्चात उक्त आराजी का नामान्तकरण वादीगण व प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 8 के पिता के नाम से दर्ज इन्द्राज हो गया। तत्पश्चात उनकी मृत्यु के उपरान्त विधिवत रूप से पैतृक सम्पत्ति का नामान्तकरण वादीगण एवं प्रतिवादीगण के नाम से दर्ज इन्द्राज हो गया, एवं उक्त सम्पत्ति में नवरतन ने अपने जीवनकाल में ही उक्त आराजी का हस्तान्तरण जरिये हक त्याग वादीगण के पिता दीपचन्द व प्रेमचन्द के नाम से कर देने से उक्त सम्पत्ति में नवरतन पुत्र सुन्दर लाल का कोई हिस्सा शेष नही बचा, एवं चमेली देवी ने भी अपना हक हिस्सा का हक त्याग अपने भाईयों के पक्ष में कर दिया, जिनसे उनका हक व हिस्सा शेष नही रहा। इस प्रकार उक्त सम्पत्ति आराजी वादीगण एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 8 की ही हिस्से अनुसार संयुक्त कब्जे काश्त की आराजी वर्तमान में

सहायक कलक्टर
आमेर, जयपुर

हैं। वादीगण व प्रतिवादीगण की संयुक्त परिवार की सम्पत्ति जयपुर में मकान नम्बर 2184 खेजडे वालो का रास्ता चांदपोल बाजार जयपुर मे व एक दुकान चांदपोल बाजार जयपुर में भी स्थित थी, जो वादीगण व प्रतिवादीगण की संयुक्त पारिवारिक पैतृक सम्पत्तियां थी । सुन्दर लाल के पुत्र क्रमशः बाबूलाल, प्रेमचन्द, दीपचन्द, नवरतन थे, एवं पक्षकारान् के पिता/पति थे। जिनके मध्य अपनी चल व अचल सम्पत्तियों को लेकर तत्समय ही आपसी पारिवारिक समझौता हो गया था जिसके अनुसार दिनांक 16/4/1979 को आपसी पारिवारिक बंटवारा रूबरू गवाहान किया गया था, एवं उपरोक्त बंटवारे के संबंध में लिखावट रूबरू गवाहन निष्पादित की गई थी। जिसके अनुसार ग्राम राजावास तहसील रामपुरा डाबडी जिला जयपुर स्थित वाद पत्र के मद संख्या 2 में वर्णित सम्पत्ति जमीन कुआ एवं गांव के मकानात श्री प्रेमचन्द व दीपचन्द के हिस्से में रहेगें और जयपुर स्थित सम्पत्ति जिसमें हवेली जिसका म्युनिसिपल नम्बर 2184 खेजडे वालो का रास्ता चांदपोल बाजार जयपुर में स्थित हैं एवं दुकान नम्बर में जो बाबूलाल के नाम से है व बाबूलाल के हिस्से में आई है इसके बदले में उपरोक्त मकान नम्बर 2184 में अगले चार महल नवरतन के हिस्से में आये है जो नवरतन के रहेगें। इस प्रकार से आपस में चारो भाईयो में बैठकर के ही उक्त सम्पत्तियों का बंटवारा कर लिया गया था। अर्थात् ग्राम राजावास में स्थित सम्पत्ति बंटवारे अनुसार प्रेमचन्द व दीपचन्द के हिस्से में रही, तथा चांदपोल बाजार स्थित खेजडे वालो का रास्ता में स्थित हवेली व दुकान बाबूलाल व नवरतन के हिस्से में रही। उक्त बंटवारा आपस में रजामन्दी से उसी समय कर लिया गया था, तबसे लेकर उक्त बंटवारे अनुसार ग्राम राजावास में स्थित वाद पत्र के मद संख्या 2 में वर्णित आराजी पर दीपचन्द व प्रेमचन्द काबिज काश्त चला आ रहे हैं चांदपोल स्थित सम्पत्तियों पर बाबूलाल व नवरतन काबिज चले आ रहे हैं। उपरोक्त सम्पत्तियों में श्री बाबूलाल, श्री प्रेमचन्द, दीपचन्द एवं नवरतन के मध्य आपसी पारिवारिक बंटवारा दिनांक 16/4/1979 को हुआ था एवं जिसका इन्द्राज लिखावट के रूप में पुराने रजिस्टर में दर्ज किया हुआ हैं। जिसके अनुसार ग्राम राजावास तहसील आमेर जिला जयपुर में वर्णित उपरोक्त आराजी वादीगण के पिता/पति के हिस्से में आयी थी तथा उनकी मृत्यु के पश्चात वादीगण के हिस्से में आयी हैं। जिसकी घोषणा वादीगण करवाने के अधिकारी हैं। पारिवारिक बंटवारा दिनांक 16/4/1979 के अनुसार सुन्दर लाल का पुत्र नवरतन ने अपने हिस्से का हक त्याग दिनांक 02/02/1999 को अपने जीवनकाल में ही अपने भाईयों प्रेमचन्द व दीपचन्द के हक में कर दिया था, तथा बाबूलाल उस समय बिमार होने के कारण अपने हिस्से की आराजी का हक त्याग वादीगण के पिता/पति के हक में नही कर सका तथा उसकी मृत्यु के पश्चात उसके हक व हिस्से की सम्पत्ति का नामान्तकरण उनके वारिसानो के नाम खुल गया। जिसकी घोषणा माननीय न्यायालय से वादीगण करवाने के अधिकारी हैं। प्रतिवादीगण

सहायक कलक्टर
आमेर, जयपुर

एकराय होकर वादीगण को जरिये पारिवारिक बंटवारा मिली अचल सम्पत्ति जिसका विवरण वाद पत्र की मद संख्या 2 में किया हुआ हैं पर जबरन वादीगण का कब्जा हटाकर एवं कानूनी रूप से हक हिस्सा पारिवारिक बंटवारे अनुसार विभक्त करवायें, उसे अन्य को विक्रय हस्तान्तरण करने पर आमादा है एवं पारिवारिक बंटवारे अनुसार दीपचन्द एवं प्रेमचन्द को प्राप्त हुई अचल सम्पत्ति का वादीगण को मालिक मानने से इन्कार कर रहे हैं, एवं दिनांक 20/12/2023 को वादीगण को प्रतिवादीगण के द्वारा धमकी दी है कि जरिये पारिवारिक बंटवारा वादीगण को प्राप्त हुई सम्पत्ति को खाली कर उसका कब्जा प्रतिवादीगण को संभला दे एवं सम्पत्ति अन्य को विक्रय हस्तान्तरित कर देगें। वादीगण को जो करना हो सो कर ले। जबकि उक्त आराजी पर अपने पिता के समय से ही वादीगण का कब्जा काश्त बदस्तूर चला आ रहा हैं। ऐसी स्थिति में वादीगण के पास माननीय न्यायालय की शरण में आकर वाद प्रस्तुत करने के अलावा कोई विकल्प शेष नही रहा हैं। दिनांक 20/12/2023 को प्रतिवादीगण द्वारा एलानियां धमकी देने से उत्पन्न हुआ हैं जो लगातार जारी हैं।

वादी ने अपने दावे के समर्थन में दस्तोवज साक्ष्य में प्रमाणित प्रति जमाबंदी खसरा नम्बर 522, 524, 561, 562 ग्राम राजावास संवत 2074–2077, प्रमाणित प्रति जमाबंदी खसरा नम्बर 499, 525 ग्राम राजावास संवत 2074–2077, बंटवारानामा दिनांक 16–04–1979 एवं प्रमाणित प्रति नवरतन पुत्र विजयपाल द्वारा किया गया हक त्याग दिनांक 02/02/1999 प्रस्तुत किया है।

वाद प्रस्तुति के उपरान्त प्रकरण नियमानुसार दर्ज पंजिका किया गया तथा तलबी प्रतिवादीगण जरिये रजिस्टर्ड एडी आदेशित किया गया।

प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 8 बावजूद तामील अनुपस्थित रहने से दिनांक 29.07.2024 को एकपक्षीय कार्यवाही की गई। तथा प्रतिवादी संख्या 9/1 लगायत 9/3 बावजूद तामील अनुपस्थित रहने पर दिनांक 08.08.2024 को एकपक्षीय कार्यवाही की गई। तदुपरान्त साक्ष्य वादी हेतु वादीया पक्ष द्वारा निम्न लिखित साक्ष्य को प्रस्तुत किये।

1. PW1 लक्ष्मीनारायण जैन निवासी ग्रम राजावास तहसील रामपुरा डाबडी जयपुर
2. PW2 दौलत उर्फ मनीष निवासी ग्राम राजावास तहसील आमेर जयपुर
3. PW3 मोहन लाल शर्मा निवासी ग्राम राजावास तहसील रामपुरा डाबडी जयपुर

वादी ने दस्तावेजी साक्ष्य प्रमाणित जमाबंदी खाता संख्या 270 ग्राम राजावास संवत 2074–2077 प्रदर्श–1, प्रमाणित जमाबंदी प्रदर्श–2, प्रमाणित प्रति मिलान क्षेत्रफल प्रदर्श–3 एवं बंटवारानामा दिनांक 16–04–1979 पेश किया। पत्रावली बहस के स्तर पर पहुंचने के उपरान्त भी प्रतिवादीगण की उपस्थिति हेतू वादीगण को दिनांक 03.01.2025 नोटिस अखबार में प्रकाशन हेतू आदेशित किया गया बावजूद अखबार प्रकाशन प्रतिवादीगण अनुपस्थित रहे। वादी अधिवक्ता ने लिखित एवं मौखिक बहस की तथा न्यायिक दृष्टांत 2011(1) RRT 680 पेश किया। हमने विद्वान अधिवक्ता की एकपक्षीय लिखित बहस पर मनन किया तथा

सहायक कलक्टर
आमेर, जयपुर

पत्रावली का अवलोकन किया। तथा प्रस्तुत साक्ष्यों का अध्ययन किया। वादी का मुख्य कथन रहा कि वादीगण व प्रतिवादीगण की संयुक्त पारिवारिक पैतृक सम्पत्तियां थी। जिसमें से ग्राम राजावास तहसील रामपुरा डाबडी जिला जयपुर में आराजी खसरा नम्बर 522 रकबा 0.1 हैक्टेयर खसरा नम्बर 524 रकबा 0.27 हैक्टेयर खसरा नम्बर 525/1 रकबा 0.20 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 561 रकबा 0.30 हैक्टेयर खसरा नम्बर 562 रकबा 0.35 हैक्टेयर कुल किता 5 कुल रकबा 1.13 हैक्टेयर स्थित है जिसमें 1/2 हक व हिस्सा सुन्दर लाल पुत्र विजय लाल वादीगण व प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 8 के दादा के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज इन्द्राज था एवं खसरा नम्बर 525 रकबा 0.70 हैक्टेयर वादीगण एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 8 के नाम से एवं खसरा नम्बर 499 रकबा 0.13 हैक्टेयर वादीगण व प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 9 के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज था। वाद पत्र के मद संख्या 2 में वर्णित आराजी ग्राम राजावास तहसील रामपुरा डाबडी जिला जयपुर में वर्णित आराजी पूर्व में सुन्दर लाल पुत्र विजय लाल के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज इन्द्राज थी, व सुन्दर लाल पुत्र विजय लाल की मृत्यु के पश्चात उक्त आराजी का नामान्तंकरण वादीगण व प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 8 के पिता के नाम से दर्ज इन्द्राज हो गया। तत्पश्चात उनकी मृत्यु के उपरान्त विधिवत रूप से पैतृक सम्पत्ति का नामान्तकरण वादीगण एवं प्रतिवादीगण के नाम से दर्ज इन्द्राज हो गया, एवं उक्त सम्पत्ति में नवरतन ने अपने जीवनकाल में ही उक्त आराजी का हस्तान्तरण जरिये हक त्याग वादीगण के पिता दीपचन्द व प्रेमचन्द के नाम से कर देने से उक्त सम्पत्ति में नवरतन पुत्र सुन्दर लाल का कोई हिस्सा शेष नही बचा, एवं चमेली देवी ने भी अपना हक लाल हिस्सा का हक त्याग अपने भाईयों के पक्ष में कर दिया, जिनसे उनका हक व हिस्सा शेष नही रहा । इस प्रकार उक्त सम्पत्ति आराजी वादीगण एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 8 की ही हिस्से अनुसार संयुक्त कब्जे काश्त की आराजी वर्तमान में हैं। वादीगण व प्रतिवादीगण की संयुक्त परिवार की सम्पत्ति जयपुर में व एक दुकान चांदपोल बाजार जयपुर में भी स्थित थी, जो वादीगण व प्रतिवादीगण की संयुक्त पारिवारिक पैतृक सम्पत्तियां थी। सुन्दर लाल के पुत्र क्रमशः बाबूलाल, प्रेमचन्द, दीपचन्द, नवरतन थे, एवं पक्षकारान् के पिता/पति थे। जिनके मध्य अपनी चल व अचल सम्पत्तियों को लेकर तत्समय ही आपसी पारिवारिक समझौता हो गया था जिसके अनुसार दिनांक 16/4/1979 को आपसी पारिवारिक बंटवारा रूबरू गवाहान किया गया था, उक्त बंटवारा पंजीकृत नहीं है तथा पारिवारिक बंटवारा पंजीकृत होना आवश्यक नहीं है एवं उपरोक्त बंटवारे के संबंध में लिखावट रूबरू गवाहन निष्पादित की गई थी। जिसके अनुसार ग्राम राजावास तहसील रामपुरा डाबडी जिला जयपुर स्थित वाद पत्र के मद संख्या 2 में वर्णित सम्पत्ति जमीन कुआ एवं गांव के मकानात श्री प्रेमचन्द व दीपचन्द के हिस्से में रहेगें और जयपुर में स्थित सम्पत्ति जिसमें हवेली जिसका म्युनिसिपल नम्बर 2184 खेजडे

सहायक कलक्टर
आमेर, जयपुर

वालो का रास्ता चांदपोल बाजार जयपुर में स्थित हैं एवं दुकान जो बाबूलाल के नाम से है व बाबूलाल के हिस्से में आई है इसके बदले में उपरोक्त मकान नम्बर 2184 में अगले चार महल नवरतन के हिस्से में आये है जो नवरतन के रहेगें। इस प्रकार से आपस में चारो भाईयो में बैठकर के ही उक्त सम्पत्तियों का बटवारा कर लिया गया था। अर्थात् ग्राम राजावास में स्थित सम्पत्ति बंटवारे अनुसार प्रेमचन्द व दीपचन्द के हिस्से में रही, तथा चांदपोल बाजार स्थित खेजडे वालो का रास्ता में स्थित हवेली व दुकान बाबूलाल व नवरतन के हिस्से में रही । उक्त बंटवारा आपस में रजामन्दी से उसी समय कर लिया गया था, तबसे लेकर उक्त बंटवारे अनुसार ग्राम राजावास में स्थित वाद पत्र के मद संख्या 2 में वर्णित आराजी पर दीपचन्द व प्रेमचन्द काबिज काश्त चला आ रहे हैं, चांदपोल स्थित सम्पत्तियों पर बाबूलाल व नवरतन काबिज चले आ रहे हैं । उपरोक्त सम्पत्तियों में श्री बाबूलाल, श्री प्रेमचन्द, दीपचन्द एवं नवरतन के मध्य आपसी पारिवारिक बंटवारा दिनांक 16/4/1979 को हुआ था एवं जिसका इन्द्राज लिखावट के रूप में पुराने रजिस्टर में दर्ज किया हुआ हैं। जिसके अनुसार ग्राम राजावास तहसील आमेर जिला जयपुर में वर्णित उपरोक्त आराजी वादीगण के पिता/पति के हिस्से में आयी थी तथा उनकी मृत्यु के पश्चात वादीगण के हिस्से में आयी हैं। जिसकी घोषणा वादीगण करवाने के अधिकारी है।

वादी द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य प्रमाणित जमाबंदी खाता संख्या 270 ग्राम राजावास संवत 2074–2077 प्रदर्श–1, प्रमाणित जमाबंदी प्रदर्श–2, प्रमाणित प्रति मिलान क्षेत्रफल प्रदर्श–3 से साबित है कि उक्त आराजी पैतृक है। प्रस्तुत हस्तलिखित बंटवारानामा दिनांक 16/4/1979 अपंजीकृत है परन्तु न्यायिक दृष्टांत 2011(1) RRT 680 में कहां गया है कि पारिवारिक समझौता रजिस्टर्ड होना आवश्यक नहीं है। जिसे साक्ष्य माना जा सकता है, इसके अतिरिक्त समझौता पक्षों के बीच पारिवारिक समझौते का एक रिकॉर्ड है और इसलिए, इसके लिए न तो पंजीकरण की आवश्यकता थी और न ही स्टांपिग की। उभयपक्षों के अधिकारों और दायित्वों का निर्धारण करते समय इसे ध्यान में रखा जा सकता है। उक्त बंटवारानामें पर प्रतिवादीगण पद्मा देवी, सुशीला देवी, चन्द्रकान्ता देवी, सुरजमल पक्षकारान एवं गवाहान के हस्ताक्षर है। इसके अतिरिक्त गवाह PW1 लक्ष्मीनारायण जैन निवासी ग्रम राजावास तहसील रामपुरा डाबडी जयपुर ने दौराने मुख्य परीक्षण एवं शपथ पत्र अभिवचन किया है कि एक समझौता दिनांक 16.04.1979 को पारिवारिक समझौता लिखा गया था जो समझौता मेरे सामने लिखा गया तथा समझौते पर मेरे स्वयं के हस्ताक्षर है। गवाह PW2 दौलत उर्फ मनीष निवासी ग्राम राजावास तहसील आमेर जयपुर ने दौराने मुख्य परीक्षण एवं शपथ पत्र में अभिवचन किया है कि पूर्व में दिनांक 16/4/1979 में एक पारिवारिक समझौता बंटवारा किया गया थ जिसकी लिखावट की गई थी। उक्त समझौते के अनुसार ग्राम राजावास की वर्णित आराजी दो भाईयो प्रेमचन्द एवं दीपचन्द को दी गई थी प्रेमचन्द

सहायक कलक्टर
आमेर, जयपुर

मेरे ताउजी है तथा दीपचन्द मेरे पिताजी है। तथा उक्त आराजी पर दोनो का ही कब्जा काश्त रहा है। तथा उनकी मृत्यु होने पर उनके वारिसान का कब्जा काश्त चल रहा है तथा गवाह PW3 मोहन लाल शर्मा निवासी ग्राम राजावास तहसील रामपुरा डाबडी जयपुर एक स्वतंत्र गवाह है गवाह ने दौराने मुख्य परीक्षण अभिवचन किया कि प्रदर्श 1, 4, 5 में में जमाबंदी संवत 2047–77 है एवं प्रदर्श 2 में खतौनी बन्दोबस्त संवत 2010–2023 है जिसके पुराने खसरा नम्बर 261/6 है एवं प्रदर्श 3 में मिलान क्षेत्रफल है जिनसे में भली–भॉति परिचित हूं उक्त आराजी के बाबत सुन्दरलाल पुत्र विजयलाल के जीवनकाल में ही उक्त आराजी बाबत एक पारिवारिक समझौता/बंटवारा सुन्दरलाल पुत्र विजयलाल के चारो पुत्रों क्रमशः बाबूलाल, प्रेमचन्द, दीपचन्द एवं नवरतन के मध्य दिनांक 13.04.1979 को हुआ था। उक्त आराजी दो भाइयो प्रेमचन्द एवं दीपचन्द को दी गई थी तथा दो भाईयो को अन्य जगह जयपुर मे दी गई थी। उपरोक्त विवेचन के आधार पर वादीगण के पिता को उक्त आराजी का बंटवारा अनुसार हिस्सा मिला है जोकि प्रस्तुत बंटवारानामा से स्पष्ट है। प्रस्तुत अभिलेख पर मौखिक और दस्तावेजी दलीलों और साक्ष्यों एवं गवाहो के माध्यम से वादी ने वाद को साबित किया है। अतः बाबूलाल पुत्र सुन्दरलाल का हिस्सा वादीगण के नाम घोषित किया जाता है जोकि जमाबंदी ग्राम राजावास तहसील रामपुरा डाबडी जिला जयपुर के खाता संख्या नया 270 एवं पुराना खाता संख्या 258 खसरा नम्बर 522 रकबा 0.1 हैक्टेयर खसरा नम्बर 524 रकबा 0.27 हैक्टेयर खसरा नम्बर 525/1 रकबा 0.20 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 561 रकबा 0.30 हैक्टेयर खसरा नम्बर 562 रकबा 0.35 हैक्टेयर कुल किता 5 कुल रकबा 1.13 हैक्टेयर में प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 6 का 1/70–1/70 हिस्सा एवं प्रतिवादी संख्या 7, 8 का 1/140–1/140 एवं खाता संख्या नया 130 पुराना 118 के खसरा नम्बर 525 रकबा 0.70 हैक्टेयर में प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 6 का हिस्सा 1/35–1/35 एवं खाता संख्या नया 129 पुराना 117 के खसरा नम्बर 499 रकबा 0.13 हैक्टेयर में प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 6 का 1/35–1/35 एवं प्रतिवादी संख्या 7, 8 का 1/70–1/70 हिस्सा दर्ज रिकॉर्ड है

आदेश

उपरोक्त विवेचनानुसार वादीगण अपने वाद को प्रस्तुत अभिलेखो पर मौखिक और दस्तावेजी दलीलों और साक्ष्यों एवं गवाहो के माध्यम से साबित करने में सफल रहे है। अतः वादीगण का वाद डिक्री किया जाता है। तदनुसार पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली नियमानुसार फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

सहायक कलक्टर
आमेर मु0 जयपुर

निर्णय आज दिनांक 12.02.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

सहायक कलक्टर
आमेर मु0 जयपुर

प्रकरण संख्या – 05/2024
बउनवानी – दिलीप बनाम मनोज वगै0
निर्णय दिनांक – 12.02.2025

डिक्री मुकद्दमा इब्तदाई

(ऑं 20 रूल्स 6 व 7 जाब्ता दीवानी)
पीठासीन अधिकारीः अंजू वर्मा
आर.ए.एस.

नियमित वाद संख्या – 05/2024

वाद प्रस्तुति दिनांक – 09.01.2024

1. दिलीप पुत्र श्री दीपचन्द
2. दौलत उर्फ मनीश पुत्र दीपचन्द
3. श्रीमती सुशीला पत्नी दीपचन्द
4. सुमन पुत्री दीपचन्द
5. लीलू पुत्री दीपचन्द
6. दिलीप कुमार पुत्र स्व0 प्रेमचन्द
7. धन कुमार पुत्र स्व0 प्रेमचन्द
8. प्रदीप कुमार पुत्र स्व0 प्रेमचन्द
9. मीनू पुत्री प्रेमचन्द (हक त्याग)

समस्त जाति जैन निवासी ग्राम राजावास तहसील आमेर हाल तहसील रामपुरा डाबडी जिला जयपुर।

(मोहर: न्यायालय सहायक कलक्टर आमेर, जयपुर)

.... वादीया

बनाम

1. मनोज पुत्र स्व0 श्री बाबूलाल
2. श्रीमती पद्मा देवी पत्नी स्व0 बाबूलाल
3. मनमोजी पुत्र स्व0 श्री बाबूलाल
4. ममता पुत्री स्व0 श्री बाबूलाल
5. मीना पुत्री स्व0 श्री बाबूलाल
6. सुनीता पुत्री स्व० श्री बाबूलाल
7. पिंकू पुत्र संजय नाबालिग जरिये माता ज्योति देवी पत्नी संजय
8. श्रीमती ज्योति देवी पत्नी संजय

समस्त जाति जैन निवासी ग्राम राजावास तहसील रामपुरा डाबडी जिला जयपुर ।

9. सुशीला देवी पत्नी श्री बी. एस. अग्रवाल (फौत)

9/1 पुनीत अग्रवाल पुत्र श्री बी. एस. अग्रवाल

9/2 शिल्पा अग्रवाल पुत्री श्री बी. एस. अग्रवाल

9/3 बी. एस. अग्रवाल पुत्र मिश्री लाल अग्रवाल

(हस्ताक्षर)
सहायक कलक्टर
आमेर द्वि. जयपुर

10. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार रामपुरा डाबडी तहसील रामपुरा डाबडी जिला जयपुर
11. उप पंजीयक रामपुरा डाबडी तहसील रामपुरा डाबडी जिला जयपुर ।

..........प्रतिवादीगण

वाद बाबत घोषणा, स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

प्रस्तुत अभिलेख पर मौखिक और दस्तावेजी दलीलों और साक्ष्यों एवं गवाहो के माध्यम से वादी ने वाद को साबित किया है। अतः बाबूलाल पुत्र सुन्दरलाल का हिस्सा वादीगण के नाम घोषित किया जाता है जोकि जमाबंदी ग्राम राजावास तहसील रामपुरा डाबडी जिला जयपुर के खाता संख्या नया 270 एवं पुराना खाता संख्या 258 खसरा नम्बर 522 रकबा 0.1 हैक्टेयर खसरा नम्बर 524 रकबा 0.27 हैक्टेयर खसरा नम्बर 525/1 रकबा 0.20 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 561 रकबा 0.30 हैक्टेयर खसरा नम्बर 562 रकबा 0.35 हैक्टेयर कुल किता 5 कुल रकबा 1.13 हैक्टेयर में प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 6 का 1/70–1/70 हिस्सा एवं प्रतिवादी संख्या 7, 8 का 1/140–1/140 एवं खाता संख्या नया 130 पुराना 118 के खसरा नम्बर 525 रकबा 0.70 हैक्टेयर में प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 6 का हिस्सा 1/35–1/35 एवं खाता संख्या नया 129 पुराना 117 के खसरा नम्बर 499 रकबा 0.13 हैक्टेयर में प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 6 का 1/35–1/35 एवं प्रतिवादी संख्या 7, 8 का 1/70–1/70 हिस्सा दर्ज रिकॉर्ड है बसख्त मेरे दस्तख्त व मुहर अदालत से आज तारीख 12.02.2025 को जारी किया ।

दस्तखत——
ओहदा——

सहायक कलक्टर
सह0 आमेर मु0 जयपुर

मुद्दई	रूपये	पैसे	मुद्दायलह	रूपये	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा	2 रूपये	–	स्टाम्प अर्जी दावा	2 रूपये	–
स्टाम्प वकालतनामा	2 रूपये		स्टाम्प वकालतनामा	2 रूपये	
स्टाम्प वजह सबूत			स्टाम्प वजह सबूत		
महन्ताना वकील			महन्ताना वकील		
खर्चा गवाहन			खर्चा गवाहन		
फीस कमिश्नर			फीस कमिश्नर		
बबत् इजराय हुक्मानामा			बबत् इजराय हुक्मानामा		
मुतफरित	4 रूपये		मुतफरित	4 रूपये	
मीजान			मीजान		